

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

09/2023/प्रा.पत्र/2023

01.02.2023

14.07.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1-श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन निवासी नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
- 2-मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक
- 3-श्री पुलकित पटोदिया पुत्र श्री विनोद पटोदिया निवासी बी-18 मन्दिर मार्ग जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. एफ-796-बी, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर
- 4-मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. एफ-796-बी, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)
की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थीगण स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 14.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.12.2022 को समय 04:00 पी.एम पर मैसर्स कुन्दन मल चन्दन मल नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्लास्टिक के कट्टे में लगभग 200 मूल पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500-500 ग्राम पैक लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राकेश कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 538 एवं पैकिंग की दिनांक



10.11.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500-500 ग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के 4 मूल पैक को अलग-अलग डिब्बों में प्रत्येक में 1-1 नग रखकर डिब्बों के ढक्कन को बन्द कर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3376 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3376 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. एफ-796-बी, रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर का वारन्टी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/4003 दिनांक 19.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3444/एक्ट/2022/3486 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शांति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
जयपुर

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव प्ररण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला न्यायालय
टोंक-राज0